Before HP Human Rights Commission-Cum-Single Bench Minister House No.3 Grant Lodge Ram Chandra Chowk Shimla-2 HP

Complaint No. 19/2026
Date of Institution: 12.01.2026
Date of Decision : 25.05.2026

Sh. Amar Singh S/o Sh. Patiram presently Up-Pradhan R/o Village Dobri Salwala P.O. Gorkhuwala Tehsil Paonta Sahib District Sirmour HP-173025

……Complainant

Vs.

Pooja Saini Advocate and ors

…Respondents.

Nemo of parties.

ORDER

Per Hon'ble Mr. Justice C.B. Barowalia, Chairperson, Human Rights Commission Himachal Pradesh

1. The present complaint was maintained by the complainant, wherein he has made the following allegations:-

"सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी नाम अमर सिंह पुत्र श्री पतीराम, निवासी ग्राम डोबरी सालवाला तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि.प्र. का रहने वाला है तथा वर्तमान ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला का उप–प्रधान पद पर कार्यरत भी है।

1. यह है कि प्रार्थी के नाम ग्राम सतौन, तहसील कमरऊ में 5 बीघा जमीन खाता, खतौनी नं. 323/291/404/372 खसरा नं. 567/178 है। इसकी डिमार्केशन करवाने बारे प्रार्थी को तहसीलदार कमरऊ तथा पटवारी कानूनगो ने (6) महीनों से आनाकानी करके परेशान कर रखा था तथा (1) बीघा भूमि का बयान करने से भी सरल आनाकानी व डिमार्केशन करने से ना करते थे।

2. यह है कि प्रार्थी डिमार्केशन ना होने की परेशानी के कारण दिनांक 6-8-2025 को पांवटा साहिब कोर्ट में वकील आशारानी को बेटी पूजा सैनी के चौम्बर नं. 225 में एक दरख्वास्त लिखवाने गया जिसमें प्रार्थी ने अपनी डिमार्केशन की परेशानी बताई, उसी दिन पूजा सैनी मिली एक भगत उपरोक्त सभी ने मिलजुल कर प्रार्थी से (1) बीघा जमीन खरीदने का सौदा मुबालीक 7 लाख रुपये बीघा खरीदने का सौदा किया तथा साथ ही उसी दिन प्रार्थी को एग्रीमेंट 7 लाख रुपये प्रति बीघा बताकर अंग्रेजी में कागजात बनाकर बताये तथा कागज में 4 लाख रुपये प्रति बीघा लिखे। प्रार्थी के साथ ही 4 गवाहों के सामने हस्ताक्षर करवाये। दो गवाह, शानाख्त, (1) महेन्द्र पूर्व प्रधान (2) नरेंद्र सिंह पुत्र श्री वीर सिंह के हस्ताक्षर करवाये जो मौके के गवाह हैं तथा 2 गवाह (1) धर्म सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, (2) रामस्वरूप पुत्र श्री मस्तराम ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला पुरुवाला साथ थे जो मौके के गवाह हैं। प्रार्थी को केवल 3 बार चौक देकर 3 लाख रुपये दिए तथा प्रार्थी के साथ दिनांक 31-10-2025 को रजिस्ट्री बयान करवाने का पूजा सैनी व उसकी माता आशारानी ने इंकार किया, मौके के गवाह मौजूद हैं। प्रार्थी को एग्रीमेंट की फोटोकॉपी तक ना दी, ना ही पढ़कर सुनाया। प्रार्थी केवल छठी कक्षा तक पढ़ा लिखा है। प्रार्थी को अंग्रेजी में पढ़ना नहीं आता, बाद में पता चला कि पूजा सैनी व उसकी माता व मिलभगत उक्त उपरोक्त प्रतिवादियों ने धोखाधड़ी से 7 लाख के बजाय 4 लाख का एग्रीमेंट बयाना लिखा व प्रार्थी को 7 लाख का बताया है।

3. यह है कि डिमार्केशन लिखने तथा करवाने बारे पूजा सैनी व उसकी माता आशारानी ने प्रार्थी से 50,000 रुपये नकद लिये व 25,000 वापस प्रार्थी को दे दिए थे। जो पैसे जमीन के एग्रीमेंट के बयाना में 3 लाख रुपये का चौक को दे दिया था। प्रार्थी की पेंमेंट में नकद 1,00,000/– रुपये डिमार्केशन के बारे वापस लिये थे।

4. यह है कि जब 2 महीने बीत चुके थे, ना ही प्रार्थी को जमीन की डिमार्केशन के कागज दिये ना ही बताये, प्रार्थी को जल्दी से डिमार्केशन करवाने बारे अपने भाई जितेन्द्र नाम जज तहसीलदार तथा तहसीलदार कमरऊ को अपना मेहमान बताकर झांसा दिया और कहा कि हमारा भाई इस वक्त जितेन्द्र नाम जज है तथा तहसीलदार कमरऊ हमारा रिश्तेदार है हम आपकी डिमार्केशन बहुत जल्दी करवायेंगे आप हमें डिमार्केशन करवाने बारे आशारानी के नाम मुख्त्यार नामा दे दो। फिर हम 15 दिन के भीतर आपकी डिमार्केशन करवा देंगे। इसी झांसे से उपरोक्त पड़े के सभी प्रतिवादियों ने मिली एक भगत बनकर प्रार्थी से नाजायज तरीके से सब कागजात अंग्रेजी में बनाये और वे कागजात ना ही प्रार्थी को पढ़कर सुनाये ना ही पढ़ने

HUMAN RIGHTS COMMISSION

का मौका दिया, ना ही प्रार्थी को पटवारी से कागजात फर्द लेने दिए, ना ही तहसीलदार के सामने पेश किया, ना ही तहसीलदार ने बयान पूछे, कई प्रकार के अन्य कागजों पर भी प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये। प्रार्थी की एक फोटोग्राफी कमरे के सामने खड़े करके ली तथा स्क्रीनटच मोबाइल पर प्रार्थी को उंगली लगवाकर हस्ताक्षर के रूप में घुमवाई व उपरोक्त प्रतिवादियों ने भी फोन के ऊपर उंगलियां हस्ताक्षर के रूप में घुमाई। प्रार्थी को तहसीलदार के सामने नहीं ले गये ना ही किसी भी प्रकार का कोई बयान हुआ।

5. यह है कि दिनांक 19-12-2025 को प्रार्थी को पता चला कि धोखाधड़ी 420 के तहत उपरोक्त मिली एक भगत फरिखस्तानियों ने डिमार्केशन करवाने का झांसा देकर प्रार्थी से मुख्त्यारनामा लेकर प्रार्थी के बिना पूछताछ के प्रार्थी का सलीम हिस्सा रकवा (5) बीघा भूमि, शानाख्त पत्नी श्री रामलाल मुंशी तथा पूजा सैनी पुत्री श्री निरंजन सिंह वकील को आशारानी ने बेच दिया है तथा प्रार्थी को भूमिहीन कर दिया है। यह भूमि पहले ही भूमिहीन के तहत पड़े पर सरकार द्वारा प्राप्त हुई थी, जो प्रार्थी के नाम अपने इकलौते बुजुर्ग को वसीयत से बरखास्त इंतकाल में प्रार्थी के नाम आई है। अतः जनाब से प्रार्थना है कि उपरोक्त फरियस्तानियों के खिलाफ शीघ्र ही एफ.आई.आर की जाये। उचित से उचित कानूनी कार्यवाही की जाए, तथा प्रार्थी को जमीन 5 बीघा पड़े वाली भूमिहीन को प्रार्थी के नाम वापस करवाई जाये। फर्जी एग्रीमेंट को रद्द करवाया जाए व प्रार्थी को फर्जी एग्रीमेंट का पैसा वसूली वापस दिलवाया जाए। जनाब की अति महान कृपा होगी।"

2. On the last date of hearing this court passed the following order:-

"Dated
03.03.2026

Present : None for the complainant.
None for the respondents.

Complaint is not as per rules. Let the complainant to make complaint as per rules and also to explain, how this complaint is maintainable before this Commission."

3. Neither the complainant has made the complaint as per rules nor has the complainant appeared before this court to pursue the complaint. In view of this, present complaint is dismissed for non prosecution. Be consigned to record room.

--sd--

Place : Shimla HP
Date : 25.05.2026
T.T.

Justice C.B. Barowalia Chairperson
HP Human Rights Commission-Cum
Single Bench